



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 27 जून, 2011 ई0

आषाढ़ 06, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 717/2011/141(120)/XXVII(8)/2008

देहरादून, 27 जून, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-11(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

(क) अनुसूची-1 के क्रमांक 74 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

"75. मिट्टी का तेल।

(ख) अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 141 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 717/2011/141(120)/XXVII(8)/2008, dated June 27, 2011 for general information :

No. 717/2011/141(120)/XXVII(8)/2008

Dated Dehradun, June 27, 2011

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication in Gazette, the following amendments in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

(a) In Schedule-I, after the existing entry at serial no. 74, the following entry shall be added: namely-

“75. Kerosene Oil.”

(b) In Schedule-II(B), the existing entry at serial no. 141 shall be deleted.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Principal Secretary, Finance.